FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

...त सहायक कलक्टर (SDO) बायतु ...मुकाम...

अणदाराम ...बनाम... खेताराम वगैरह

...स मुकदमा... रा०वाद 88,188 RTAct नं. ...108... सन् ...2020...

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 9.7.2020 | प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ...खेताराम चारण... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ...88,188 RTAct... राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ...14/7/2020... को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु | |
| 14/7/2020 | वादी वकील उप० प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री धमण्डाराम सारण द्वारा वकालतनामा मय अभिभाली जवाब दावा मय शपथपत्र पेश किया। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी सं. 1 स्वयं PW-1 व स्वतंत्र गवाह PW-2 के शपथपत्र पेश किए गए। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील की बहस सुनी गई, पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया, अवलोकन के बाद वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु | देवाराम<br>अणदाराम<br>हिन्दा कुमार |

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:21:23 IST
Reason: SelfAttested

# ्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

**(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S. )**

राजस्व वाद संख्या– 108 / 2020

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. अणदाराम पुत्र देवाराम<br>2. पदमाराम पुत्र देवाराम नाबालिग की कुदरती वली माता नवलीदेवी<br>3. गिरधारीराम पुत्र देवाराम नाबालिग की कुदरती वली माता नवली देवी<br>जातियान्–जाट,<br>निवासीयान्–चैनाणियों की ढाणी, सिंगोड़िया, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर | | 1. देवाराम पुत्र कानाराम<br>जाति जाट निवासी–चैनाणियों की ढाणी, सिंगोड़िया, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर |

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री जगदीश चौधरी वकील प्रतिवादी

**–: निर्णय :–** **दिनांक** : 14/07/2020

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा चैनाणियों की ढाणी पटवार मण्डल हरखाली तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 326 रकबा 21.8592 हैक्टेयर व मौजा गोमतेश्वर पटवार मण्डल हरखाली के खेत खसरा नम्बर 407, 408, 409 रकबा क्रमशः 0.0405, 0.0405, 13.9148 हैक्टेयर आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी एक ही पूर्वज के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण, प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र ... गवाह पेश किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:21:23 IST
Reason: SelfAttested

ाये तथा प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण कानाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा चैनाणियों की ढाणी पटवार मण्डल हरखाली तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 326 रकबा 21.8592 हैक्टेयर व मौजा गोमतेश्वर पटवार मण्डल हरखाली के खेत खसरा नम्बर 407, 408, 409 रकबा क्रमशः 0.0405, 0.0405, 13.9148 हैक्टेयर में वादीगण को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

विवेक व्यास

**(विवेक व्यास)**
**सहायक कलक्टर एवं**
**उपखण्ड अधिकारी, बायतु**

निर्णय आज दिनांक 14/7/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विवेक व्यास

**(विवेक व्यास)**
**सहायक कलक्टर एवं**
**उपखण्ड अधिकारी, बायतु**

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:21:23 IST
Reason: SelfAttested

## अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

**वादीगण** **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. अणदाराम पुत्र देवाराम
2. पदमाराम पुत्र देवाराम नाबालिग की कुदरती वली माता नवलीदेवी
3. गिरधारीराम पुत्र देवाराम नाबालिग की कुदरती वली माता नवली देवी

जातियान्–जाट,
निवासीयान्–चैनाणियों की ढाणी,
सिंगोड़िया, तहसील–बायतु,
जिला–बाड़मेर

1. देवाराम पुत्र कानाराम
जाति जाट निवासी–चैनाणियों की ढाणी, सिंगोड़िया, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

**दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

राजस्व वाद संख्या–108 / 2020. **निर्णय दिनांक :–** 14/7/2020

वादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ व प्रतिवादी की ओर से वकील श्री जगदीश चौधरी क़ी उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14/7/2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा चैनाणियों की ढाणी पटवार मण्डल हरखाली तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 326 रकबा 21.8592 हैक्टेयर व मौजा गोमतेश्वर पटवार मण्डल हरखाली के खेत खसरा नम्बर 407, 408, 409 रकबा क्रमशः 0.0405, 0.0405, 13.9148 हैक्टेयर में वादीगण को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 14/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

विवेक व्यास

सहायक कलक्टर (SDO)

(विवेक व्यास)
**सहायक कलक्टर एवं**
**उपखण्ड अधिकारी, बायतु**

## वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| | रुपया | | रुपया |
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प<br>2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प<br>4. ........... रुपये पर प्लीडर की फीस<br>5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय<br>6. कमिश्नर की फीस<br>7. आदेशिका की तामिल | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>अर्जी के लिए स्टाम्प<br>प्लीडर की फीस<br>साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय<br>आदेशिका की तामील<br>कमिश्नर की फीस | |
| जोड़ | | जोड़ | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:21:23 IST
Reason: SelfAttested